



34499 - मस्जिद के अंदर बने कमरे में एतिकाफ करना

प्रश्न

क्या मस्जिद के अंदर चौकीदार का कमरा और ज़कात समिति का कमरा उसके अंदर एतिकाफ करने के लिए उचित (योग्य) है ? जबकि ज्ञात रहे कि इन कमरों के दरवाज़े मस्जिद के भीतर हैं।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

वे कमरे जो मस्जिद के अंदर हैं और उनके दरवाज़े मस्जिद पर खुले हुए हैं, वे मस्जिद के हुक्म में हैं, और इस आधार पर उनके अंदर एतिकाफ करना जाइज़ है ; क्योंकि वे मस्जिद का हिस्सा हैं। परन्तु यदि उनका निर्माण मस्जिद के बाहर है तो उनके अंदर एतिकाफ करना जाइज़ नहीं है यहाँ तक कि यदि उनका मस्जिद के अंदर कोई दरवाज़ा ही क्यों न हो।